



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173975

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7823

सन् 2026

आलोक कुमार और अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

गौरव सिंह चौहान

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता, मुकेश कुमार

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 284 सन् 2025 के अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस, 2023, थाना - किशनी, जिला मैनपुरी में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदकों को विक्रय विलेख के सीमांत साक्षी बताया गया है, जिसे किरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कुमारी ने निष्पादित किया था। इसी तरह की स्थिति वाले सह अभियुक्त नीलेश कुमार और अशोक कुमार को आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7628/2026 में अग्रिम जमानत दी गई थी। इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7259/2026 में श्यामू, अशोक कुमार और सोनी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। आवेदकगण का प्रकरण भी इसी तरह का है। आवेदकगण में प्रत्येक का एक-एक आपराधिक इतिहास है, तथापि वे पूर्व में दोषसिद्ध नहीं हुए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सह अभियुक्त किरण कुमारी की ओर से पूरी कार्यवाही पर इस न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या 20030/2026 में रोक लगा दी है। आवेदकगण के खिलाफ जांच अभी भी चल रही है और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम जमानत देने की मांग का विरोध किया, लेकिन आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई तथ्यों से जुड़ी दलीलों को चुनौती नहीं दे सके।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त नीलेश कुमार और अशोक कुमार को इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस न्यायालय ने श्यामू, अशोक कुमार और सोनी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। आवेदक प्रश्नगत विक्रय विलेख के लाभार्थी नहीं हैं तथा उन्हें सीमांत साक्षी बताया गया है। इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

7. ऊपर बताई गई प्रकरण की सभी बातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. आवेदकगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकगण - **आलोक कुमार और जगदीश** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदकगण पुलिस अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए हाज़िर होंगे।
 - ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
 - iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।
 - iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।
10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

कुशले